न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 82/2017 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2017/00220

1. हुकमचन्द पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहम्ण (गौड) निवासी बीकानेर हाल चूरू।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र गौड पुत्र ताराचन्द गौड जाति ब्राहम्ण निवासी जैल–वैल, बीकानेर।
2. ललित गौड़
3. जितेन्द्र गौड
4. सीमा गौड
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री ओम प्रकाश पालीवाल — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3
श्री गुलाब मारू — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 05.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर के निर्णय दिनांक 26.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– ग्राम रिडमलसन के खसरा नंबर 73/19/1 की 25 बीघा वादगत भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ताराचन्द पुत्र मुखराम के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी। उक्त भूमि के संबंध में एक वसीयत दिनांक 29.09.1993 अपीलांट के पक्ष में कर दी। अपीलांट के पिता ताराचन्द ने उक्त वसीयत के पश्चात अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि विक्रय कर दी। अपीलांट के पिता ताराचन्द का दिनांक 27.01.1996 को देहावसान हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने ताराचन्द द्वारा की गई वसीयत दिनांक 11.02.1993 तहसीलदार बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर अपने नाम इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने उक्त प्रकरण में द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 24.03.2005 पारित कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिया। अपीलांट ने तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर के आदेश दिनांक 24.03.2005 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 26.04.2013 द्वारा अपीलांट के अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 26.04.2013 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता स्व. ताराचन्द ने अपनी समस्त अचल संपत्ति जिसमें सम्पति नं. 1 आवासीय मकान वाके जैल—वैल एवं कृषि भूमि जो वाके रिडमलसर पुरोहितान में स्थित थी, के संबंध में अपनी एक अन्तिम वसीयत अपने पुत्र अपीलांट के हक में दिनांक 24.09.1993 को निष्पादित कर उप पंजीयक चुरू के समक्ष दिनांक 29.09.1993 को पंजीबद्ध करवा दी। जिसके संबंध में अब जिला न्यायाधीश बीकानेर के द्वारा प्रशासन पत्र की अपीलांट के हक में दिनांक 01.04. 2006 जारी किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स ने आपस में दुरभि संधि करके तथ्यों से छिपाते हुए फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तथाकथित वसीयत दिनांक 11.02.1993 प्रस्तुत कर अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना आदेश जैर प्रथम अपील प्राप्त किया था जो एक संदिग्ध वसीयत को आधार बनाकर पारित किया गया था। अपजीकृत दस्तावेज के आधार पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व वसीयतकर्ता के जायज व कानूनी वारीसान को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था, जो प्रस्तुत प्रकरण में नहीं दिया गया। मात्र बीकानेर शहरी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाकर, अपीलांट जो कि चुरू निवास करता है, कि तामिल मान लेना पर्याप्त नही था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील दिनांक 24.03.2005 व 26.04.2013 को निरस्त फरमाया जावें एवं वादगत भूमि का नामान्तरणकरण अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने तहसीलदार राजस्व बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.03.2025 को विधिविरूद्ध वताया है जबकि तहसीलदार राजस्व बीकानेर ने बिलकुल विधि मान्य पत्रावली में अंकित तथ्यों को आधार पर निर्णय दिया है तहसीलदार राजस्व बीकानेर ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामांतरकरण का निर्णय करने से पूर्व हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की वसीयत के गवाहों के वयान दर्ज किये तथा दिनांक 07.01.2005 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाई पुनः दिनांक 08.03.2005 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही आने पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिया इसलिए अपीलांट का यह कहना कि न्यायालय ने विधि विरूद्ध

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय पारित किया सरासर गलत है इसी प्रकार प्रथम अपील में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेज पर कानूनन मनन कर कानून के अनुसार अपीलांट के वकील की सम्पूर्ण बहस सुनकर विधिमान्य निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने अपनी बहस में अपनी वसीयत के आधार पर जिला न्यायाधिश बीकानेर के आदेश के अनुसार खसरा नंबर 73/10/33 ग्राम रिडमलसर के संबंध में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपीलांट के पक्ष में होने का उल्लेख किया है लेकिन अपीलांट ने अपील खसरा नंबर 73/19/1 ग्राम रिडमलसर के संबंध में पेश की है तथा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खसरा नंबर 73/19/1 ग्राम रिडमलसर का नामांतरकरण दर्ज हुआ है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा वसीयत इस खसरे सें संबंधित नहीं है। अपीलांट सिविल न्यायालय के आदेश के अनुसार खसरा नंबर 73/10/33 को खसरा नंबर 73/19/1 मानने के लिए राजस्व न्यायालय को निवेदन कर रहा है लेकिन सिविल न्यायालय के आदेश में संशोधन करने या फेरवदल करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है इस कारण अपीलांट का जिला न्यायाधीश के लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश में जारी खसरा नंबर 73/10/33 को खसरा नंबर 73/19/1 मानने के लिए इस न्यायालय से निवेदन करना गैर कानूनी है। अपीलांट ने किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही फर्जी वसीयत होने के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध नही की है इसके अलावा वसीयत सही या गलत का निर्णय अपील में निर्धारित नही हो सकता किसी सिविल न्यायालय में ही निर्धारित हो सकता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को यथावत रखा जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। ग्राम रिडमलसन के खसरा नंबर 73/19/1 की 25 बीघा वादगत भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ताराचन्द पुत्र मुखराम के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने ताराचन्द द्वारा की गई वसीयत दिनांक 11.02.1993 तहसीलदार बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर अपने नाम इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने उक्त प्रकरण में द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 24.03.2005 पारित कर दिया। अपीलांट ने ताराचन्द पुत्र मुखराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 11.02.1993 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त कर आम सूचना दैनिक अखबार में प्रकाशित करवाया, उक्त सूचना प्रकाशित होने के बाद नियत समयाधि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की और से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने भी अपने निर्णय में तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2005 में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं होना बताया है।

उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.03.2005 को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया गया है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा तहसीलदार बीकानेर के उक्त निर्णय दिनांक 24.03.2005 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 26.04.2013 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 26.04.2013 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर